झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डबल्यू. पी. (सी) संख्या 2253/2013

विकाश कुमार, पे० शशि भूषण सिंह, निवासी-ए/53, विजय नगर, गोलमुरी, डाकघर और थाना-सिधगोरा, टाउन-जमशेदपुर, जिला-सिंहभूम पूर्व ..... याचिकाकर्ता

बनाम

एकता कुमारी, पति- विकाश कुमार, पिता- श्री श्रीकांत सिंह, निवासी-एच0 सं0-4/3, क्रॉस रोड सं0-८५१, डाकघर और थाना-बारीडीह, टाउन-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम

..... उत्तरदातागण

कोरमः मानननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

----- -

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अर्पन मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिएः श्री अभिषेक चंद्रा, अधिवक्ता।

4/दिनांकः 8 जनवरी 2021

पार्टियों के लिए विद्वत अधिवक्ता की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई है।

यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत है, जिसमें 2010 के वैवाहिक सूट नंबर 277 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित 10.01.2013 के आदेश को चुनौती दी गयी है।

श्री अर्पन मिश्रा, याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वैवाहिक मुकदमा वर्ष 2010 का है और वह याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे की स्थिति के बारे में कोई निर्देश प्राप्त

करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, वह यह स्वीकार करते है कि यदि मुद्दा अभी भी जीवित है, तो उसे उचित अपीलीय मंच के समक्ष मामले को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री अभिषेक चंद्रा, श्री भैया विश्वजीत कुमार की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वत अधिवक्ता, रिकॉर्ड पर प्रतिवादी के लिए विद्वत अधिवक्ता, को इस तरह के निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

मामले के उस दृश्य में, रिट याचिका को वापस लेने के रूप में ख़ारिज किया जाता है साथ में याचिकाकर्ता को उपरोक्स्वत तंत्रता दी जाती है।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

साकेत/-